

सारंगढ रियासत में ब्रिटिश नियंत्रण और उसका प्रभाव (अठारहवीं शताब्दी से भारतीय संघ में विलय तक)

* डॉ. प्रदीप शुक्ल, प्रोफेसर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (बिलासपुर)

** सागर कर्ष, शोध छात्र, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (बिलासपुर)

भारत का इतिहास विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि से भरा हुआ, जिसमें रियासतों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय रियासतें जिन्हें विशेष रूप से ब्रिटिश राज के दौरान व्यवस्थित किया गया था, अद्वितीय प्रशासनिक और सांस्कृतिक संरचना का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रिटिश शासन से पूर्व ये रियासतें स्वतंत्र थीं और स्थानीय राजाओं के अधीन संचालित होती थीं। अधिकांश भारतीय रियासतें, मुगलों तथा मराठों के सामंत या जागीरदार हुआ करते थे। जैसे - जैसे मुगल तथा मराठा शासक कमजोर होने लगे वैसे - वैसे सामंत अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासन करना शुरू कर दिए। ठीक उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन एक व्यापारिक संस्था के रूप में हुआ। 18 वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। आंतरिक संघर्ष, क्षेत्रीय रियासतों का विद्रोह और विदेशी आक्रमणों के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। इसी कमजोरी का फायदा उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। प्लासी की लड़ाई तथा बक्सर के युद्ध से कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इसके बाद कर्नाटक युद्ध के माध्यम से कंपनी ने दक्षिण भारत में भी अपनी शक्ति बढ़ा ली। उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में

कंपनी का वर्चस्व देशी रियासतों तक फैलने लगा। ब्रिटिश संसद का पूर्ण सहयोग और राजनैतिक मार्गदर्शन से कंपनी फल - फूल रहा था। कंपनी ने भारतीय शासकों को संरक्षण देना शुरू कर दिया और यहीं से भारतीय रियासतें परतंत्रता के बंधनों में बंध गईं। औपनिवेशिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से मिलकर बना था। ब्रिटिश भारत का आशय उन क्षेत्रों से था, जो इंग्लैंड के शासक के राज्य के अंतर्गत आते थे और इनका प्रशासन गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा चलता था। देसी रियासतों के संबंध में अनेक मत प्रचलित है –

- ❖ भारतीय रियासतें एक राजनैतिक समुदाय है, जो निश्चित सीमाओं में बंधी एक राजकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ एक उत्तरदायी नरेश होता है, जो आंतरिक सम्प्रभुता के गुणों से सम्पन्न होता है। यह सम्प्रभुता उसे अपने अधिकारों से प्राप्त हुई हैं, जिसे ब्रिटिश शासन ने औपचारिक रूप से मान्यता दी है।¹
- ❖ रियासतें, वे स्वतंत्रता प्राप्त प्रदेश है, जो अनेक परिमाणों में सम्प्रभुताएं प्राप्त किए हुए है। रियासतों के अपने क्षेत्र तथा विधि विधान है। वे स्वयं कर वसूलते हैं। ब्रिटिश राज्य द्वारा उन्हें आत्मसात नहीं किया गया है तथा संरक्षक राज्य, द्वारा देसी रियासतों को विदेशी माना गया है।²

रियासतें कई महत्वपूर्ण विशेषताएं से परिपूर्ण होते थे। हर रियासत की अपनी सरकार तथा प्रशासनिक प्रणाली थी जो स्थानीय परंपराओं के अनुसार

संचालित होते थे। रियासतों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। रियासतों में धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत मिश्रण प्रदर्शित होता था। विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते थे और सामाजिक ढांचे को मजबूती प्रदान करते थे। अंग्रेजों के पास भारत में सर्वोच्च राजनीतिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए रियासतों के साथ संबंध स्थापित करना अति आवश्यक हो गया था। राजनीतिक और भौगोलिक विशेषताओं के कारण अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के साथ समय अनुसार विभिन्न नीतियां अपनाई -

- ❖ **घेरे की नीति (1765 - 1813) :-** इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर होने के लिए बाध्य कर दिया।
- ❖ **अधीनस्थ पृथक्करण की नीति (1813 - 1857) :-** ब्रिटिश कंपनी ने राजाओं को, कंपनी का अधीनस्थ सहयोग स्वीकार करने के लिए बाध्य किया तथा इससे रियासतों की बाह्य संप्रभुता समाप्त हो गई। 1833 के बाद कंपनी ने राजनीतिक सर्वोच्चता पर ध्यान केंद्रित किया।
- ❖ **अधीनस्थ संघ की नीति (1857 - 1935) :-** मुगल सम्राट की सत्ता समाप्त हो गई। रियासतों में उत्तराधिकार के सभी मामलों के लिए ब्रिटिश क्राउन की मंजूरी आवश्यक हो गई। तथा अब राज्यहित में राज्य के शासकों को दंडित या बर्खास्त किया जा सकता था। सरकार रियासतों की तरफ से युद्ध की घोषणा कर सकती थी, तटस्थता कर सकती थी एवं शांति का प्रस्ताव रख सकती थी।

❖ **समान संघ की नीति (1935 -1947) :-** इस योजना के तहत भारतीय राजाओं को संघीय विधानसभा तथा राज्य विधानसभा परिषद प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रस्ताव था। परन्तु रियासतों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के कारण यह योजना लागू नहीं हो सका।

छत्तीसगढ़ के रियासतों पर ब्रिटिश नियंत्रण

छत्तीसगढ़ के रियासतों को मध्यस्थ रियासतों की श्रेणी में रखा गया था। मध्यस्थ रियासतों में ब्रिटिश सरकार द्वारा हस्तक्षेप का अधिकार अलग अलग था। जिन्हें समय – समय पर सनद तथा करार द्वारा निर्धारित किया जाता था। मध्यस्थ रियासत, उन रियासतों को कहा जाता था जो किसी और रियासत पर निर्भर होते थे परन्तु उनके अस्तित्व और अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा सुरक्षित किए जाते थे।³ छत्तीसगढ़ के अधिकांश रियासतें है कल्चुरी शासकों की जमींदारियां थी। मराठों के आगमन के साथ ही यह क्षेत्र, मराठों का करद क्षेत्र बन गया। मराठों के द्वारा जो कर इस क्षेत्र से वसूला जाता था उसका कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता था फलस्वरूप मराठा शासक तथा जमींदारों के बीच का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता है। परन्तु जब जमींदारियों पर ब्रिटिश संरक्षण की शुरुआत हुई तो कर निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश अधीक्षक कर्नल एगन्यू ने इनका सर्वेक्षण शुरू कर दिया। एगन्यू ने विभिन्न करारों द्वारा इन जमींदारियों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित कर लिया। सन 1854 में जब नागपुर राज्य का अधिग्रहण ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया तो पुनः इन जमींदारियों का सर्वेक्षण किया गया। तब कही जाकर इनमें से चौदह

बड़ी जमींदारियों को सामंती रियासत का दर्जा ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के सभी रियासतें मध्य प्रांत के प्रमुख आयुक्त के नियंत्रण में थीं⁴ सन् 1882 के बाद इन रियासतों का नियंत्रण प्रमुख आयुक्त के स्थान पर राजनैतिक एजेंट को सौंप दिया गया का कार्यालय रायपुर में होता था। रियासतों के अधिकार काफी सीमित कर दी गईं उनपर ब्रिटिश नियंत्रण का शिकंजा कसता चला गया।

सारंगढ़ रियासत पर ब्रिटिश नियंत्रण

प्लासी, बक्सर तथा कर्नाटक युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। कंपनी ने बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास को अपना प्रेसिडेंसी बना लिया था। प्रत्येक प्रेसिडेंसी में गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित रेग्युलेंटिंग एक्ट (1773) ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। और बंगाल के गवर्नर को ' बंगाल का गवर्नर जनरल ' कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता से युवा अधिकारी अलेक्जेंडर इलियट को बंगाल और बॉम्बे के बीच पोस्टल कॉरिडोर प्राप्त करने के लिए नागपुर भेजा। इलियट को सारंगढ़ रियासत से होकर नागपुर जाना था। दुर्भाग्य से सारंगढ़ पहुंचने से पहले ही सालर नामक गांव के पास तीव्र ज्वर के कारण इलियट की मृत्यु हो गयी। सारंगढ़ के राजा विश्वनाथ साय ने उसके शव को दफनाने के लिए भूमिखंड प्रदान किया तथा उसी भूमि पर मकबरे का निर्माण करा दिया। राजा विश्वनाथ साय के इस उदारता के बदले वारेन हेस्टिंग्स ने आभार स्वरूप हाथी व खिलअत सारंगढ़ नरेश को प्रदान किया। किसी अंग्रेज के सारंगढ़ आगमन का यह पहला वाक्या था।⁵ उपरोक्त

घटना जब घटित हुई तब सारंगढ़ मराठों के प्रभाव में था। सारंगढ़ अठारह गढ़जात समूह का सदस्य था और नाम मात्र के लिए मराठा अधीनता स्वीकार करता था। भोंसला शासकों और उनके जमींदारों के सम्बन्ध लिखित और स्पष्ट नहीं थे।⁶ इसलिए सारंगढ़ शासक सहित अन्य राज्यों के शासकों ने अंग्रेजी संरक्षण का स्वागत किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध (1818) में मराठा पराजय के पश्चात सारंगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश कंपनी ने सारंगढ़ में प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना अव्यवहारिक समझा। कंपनी ने निर्धारित वार्षिक राशि के बदले शासन का समस्त अधिकार सारंगढ़ के राजा को सौंप दिया। तथापि राजा की शक्तियां ब्रिटिश शासन द्वारा नियंत्रित होती थीं। गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी ने नागपुर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो गया। कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन, अब प्रत्यक्ष शासन में परिवर्तित हो गया। सन् 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई और सन् 1858 में भारत का शासन ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नितियों का अनुसरण किया। देसी रियासतों को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बड़ी और ताकतवर जमींदारियों को सामंती रियासत (फ्यूडेटरी स्टेटस) का दर्जा दिया। फलस्वरूप सारंगढ़ सहित छत्तीसगढ़ की कुल चौदह बड़ी जमींदारियों को सामंती रियासत का दर्जा प्राप्त हो गया। सागर, नर्मदा क्षेत्र, नागपुर तथा छत्तीसगढ़ को मिलाकर सन् 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया और मध्य प्रांत के प्रशासन के लिए चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस समय सारंगढ़ के राजा संग्राम सिंह थे।

राजा संग्राम सिंह को नागपुर में चीफ कमिश्नर रिचर्ड टेम्पल द्वारा सामंती शासक (फ्यूडेटरी चीफ) की सनद जनवरी 1866 को प्राप्त हुई। सनद में निम्नलिखित शर्तें उल्लेखित थी⁷ -

- राज्य के द्वारा प्रतिवर्ष ₹1400 ब्रिटिश सरकार को अदा किया जाएगा।
- राजा के उत्तराधिकारी के अभाव में गोद लेना स्वीकृत किया जाएगा।
- कदाचरण या कुप्रबंध की स्थिति में शासक को निलंबित किया जा सकता है।

04 सितंबर 1867 में राजा संग्राम सिंह को चीफ कमिश्नर नागपुर द्वारा पुनः एक सनद प्रदान किया गया। जिसमें निम्नलिखित शर्तें उल्लेखित थी⁸ -

- बीस वर्षों (1867 -1887) के लिए निर्धारित देय राशि 1350 रु. स्वीकृत किया गया। अवधि की समाप्ति के पश्चात अथवा सरकार के निर्देशानुसार राशि का पुनरीक्षण किया जा सकता है।
- ब्रिटिश सरकार के विद्रोही या अभियुक्तों को शरण नहीं देना है।
- राज्य के अंदर अपराध उन्मूलन, निष्पक्ष न्याय तथा प्रजा के अधिकारों की रक्षा करना होगा।
- ब्रिटिश अधिकारियों के निर्देशों तथा परामर्शों का पालन करना होगा।
- संबलपुर के सदर मुख्यालय में वकील की नियुक्ति करना होगा तथा आबकारी राजस्व को व्यवस्थित करना होगा।

उपरोक्त शर्तों से स्पष्ट हो जाता है की सारंगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। रियासत का अंतराष्ट्रीय महत्त्व ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण समाप्त

हो गया और आंतरिक प्रशासन में ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ गया। राजा का अधिकार सीमित हो गया और राज्य के उत्तराधिकारी चयन में ब्रिटिश हस्तक्षेप होने लगे। सन 1878 में राजा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात् भवानी प्रताप सिंह राजा बने। सन् 1889 में राजा भवानी प्रताप के पश्चात् रघुवर सिंह राजा बने, परन्तु छह माह बाद ही उनका देहांत हो गया। अल्पवयस्क राजकुमार जवाहिर सिंह को लगभग दो वर्ष की आयु में ही राजा घोषित कर दिया गया। राजा के नाबालिग होने के कारण 1890 से नवंबर 1909 तक राज्य की शासन व्यवस्था राजमाता ने संभाला। राजमाता के प्रशासकीय सहयोग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक सुप्रीडेंट नियुक्त किया गया था। नवंबर 1909 में राजकुमार जवाहिर सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राजा जवाहिर सिंह की प्रशासनिक दक्षता से अंग्रेज काफी प्रभावित थे। जॉर्ज पंचम के ताजपोशी के लिए आयोजित दिल्ली दरबार में उन्हें आमंत्रित किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें 1918 में राजा बहादुर और 1934 में कम्पेनियन ऑफ इंडियन इंपीरियल (C.I.E) की उपाधि प्रदान की गयी थी।⁹ जवाहिर सिंह मध्यप्रान्त और बरार की व्यवस्थापिका सभा के सभासद थे और ब्रिटिश संसद द्वारा स्थापित नरेंद्र मंडल (1920) के सदस्य थे।¹⁰ ब्रिटिश सरकार ने अमूमन रियासतों के शासकों को मृत्युदंड देने के अधिकार से वंचित रखा था परन्तु 1914 में राजा जवाहर सिंह को मृत्युदंड देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। सन् 1932 में सारंगढ़ के कोर्ट ने एक व्यक्ति को हत्या का दोषी पाया और उसके लिए मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की। दोषी ने राजा जवाहिर सिंह के समक्ष मृत्युदंड के खिलाफ अपील की, राजा साहब ने अपील खारिज कर दिया। बाद में सेंट्रल प्रोविजन्स के गवर्नर ने इस मृत्युदंड

के खिलाफ दिल्ली के गवर्नर जनरल को याचिका भेज दिया। गवर्नर जनरल ने यह याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया कि “राजा जवाहिर सिंह का प्रोटोकॉल दर्जा ब्रिटेन के राजा के समकक्ष है, इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।”¹¹ उपरोक्त घटना से यह बात स्पष्ट है कि राजा जवाहिर सिंह की स्थिति सारंगढ़ के अन्य शासकों की अपेक्षा सम्मानजनक रही होगी। ब्रिटिश काल के दौरान भी सारंगढ़ में राज्य का स्वतंत्र हाई कोर्ट स्थापित रहा।¹² जिससे न्यायिक व्यवस्था को मजबूत आधार मिल रहा था। सारंगढ़ के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को ब्रिटिश नियंत्रण ने काफी हद तक प्रभावित किया। ब्रिटिश प्रशासन ने अपने नियंत्रण को मजबूती प्रदान करने के लिए स्थानीय शासकों का शोषण किया। सारंगढ़ की स्थिति को सनद द्वारा निर्धारित किया गया और इन्हीं सनदों के माध्यम से शासकों पर शिकंजा कसा गया। ब्रिटिश हस्तक्षेप शासन के हर क्षेत्र में होने लगा था। सरकारी नीतियों और लोक कल्याण का क्रियान्वयन ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाता था। ब्रिटिश सरकार के आदेशों को मानने के लिए शासक विवश थे। ब्रिटिश नियंत्रण के फलस्वरूप प्रशासन का आधुनिकीकरण संभव हो पाया। वित्तीय तथा संवैधानिक स्थिति बेहतर होने लगा। परिणामस्वरूप जनता में राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा। लोगों में राष्ट्रवादी विचारधारा पनपने लगी और बीसवीं शताब्दी में इन्हीं विचारधाराओं ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रचंड रूप दे दिया।

सारंगढ़ में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उत्पन्न जनजागृति

ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों से पूरे भारत में आक्रोश था। शासकों के अधिकारों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण जनता और शासक के बीच भेद

बढ़ता ही जा रहा था। शासक को जनता के पक्ष में उत्तरदायी होना चाहिए परंतु यह स्थिति बदल चुकी थी। परिणामस्वरूप प्रजा का असंतोष फुट पड़ा। यह असंतोष ब्रिटिश सरकार के विरोध में था। परन्तु सारंगढ़ क्षेत्र में असंतोष की यह भावना उग्र रूप में प्रदर्शित नहीं हुई। सारंगढ़ नरेश जवाहिर सिंह की दूरदर्शिता और कूटनीति के कारण इस क्षेत्र में उग्र आंदोलन का उदाहरण नहीं मिलता है। ब्रिटिश सरकार से सम्मानित होने के बावजूद भी उनके मन में देश प्रेम की भावना कम नहीं हुई थी। जवाहर लाल नेहरू के बहनोई रणजीत पंडित और सारंगढ़ नरेश जवाहिर सिंह घनिष्ठ मित्र थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रणजीत जी सारंगढ़ आते थे और जनता को संबोधित भी करते थे फलस्वरूप सारंगढ़ में भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति रुझान पैदा होने लगा था। रणजीत पंडित से मित्रता के कारण जवाहिर सिंह जी, नेहरू तथा गांधी जी के संपर्क में आ चुके थे। दिसंबर 1920 के नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जवाहिर सिंह ने भाग लिया था। राजा के राष्ट्र प्रेम को देखकर प्रजा के अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत होने लगी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव सारंगढ़ क्षेत्र में पड़ा था। जंगल सत्याग्रह के दौरान हरिजन धनीराम, जगत राम, तथा कुंवर भान को गिरफ्तार किया गया।¹³ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब लुकराम गुप्ता के नेतृत्व में हड़ताल की गई।¹⁴ जनता में राजनैतिक चेतना व जागृति लाने की दिशा में 'नगर सुधार समिति' (1937) तथा 'युवा संघ' (1937) की स्थापना हुई। उमंग नामक हस्तलिखित सचित्र मासिक पत्रिका का शुभारंभ राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए हुआ। रियासत मुख्यालय में बौद्धिक विकास के लिए महावीर वाचनालय की स्थापना हुई। रियासत में

स्वाधीनता संग्राम को गति देने के लिए दानीराम पटेल गांधीजी से मिलने वर्धा गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान केशवचंद्र शाहा, धनसाय वर्मा, ठाकुरराम पटेल, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, जैसे जागरूक युवक जन चेतना और राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए कार्यरत थे। ब्रिटिश सरकार के विरोध में नवयुवक संगठित होने लगे थे। युवकों ने राजनीतिक विकास के लिए स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। स्टेट कांग्रेस ने निम्नलिखित लक्ष्य घोषित किया था -

- रियासत में प्रजातंत्र एवं पंचायतीराज स्थापित किया जाना चाहिए।
- नागरिकों को राजनीतिक सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाना चाहिए।

नागरिकों की मांग राजा नरेशचंद्र सिंह जी ने स्वीकार कर लिया। प्रजाहितैषी शासन होने के कारण है रियासत में उग्र आंदोलन का उदाहरण नहीं मिलता है।

ब्रिटिश शासन की समाप्ति और रियासत का विलय

भारत का स्वतंत्रता संग्राम 15 अगस्त 1947 में समाप्त हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान रियासतों को स्वायत्तता दी गई थी लेकिन स्वतंत्रता के बाद उन्हें एक साथ लाने की आवश्यकता थी, ताकि एक मजबूत और एकीकृत भारत का निर्माण हो सके। एकीकृत भारत के निर्माण से राजनीतिक विकास का ढांचा तय हो सकता था। सारंगढ़ रियासत के विलीनीकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का उग्र आंदोलन नहीं हुआ। सामान्य जनता विलय के पक्ष में नहीं थे, परंतु जागरूक नवयुवक जानते थे कि क्षेत्र का विकास भारतीय संघ में शामिल होकर ही किया जा सकता है। युवकों की इस विचार का राजा

नरेशचंद्र सिंह ने स्वागत किया और विलय पत्र में हस्ताक्षर करके सारंगढ़ रियासत का विलय भारतीय संघ में कर दिया।¹⁵ राजा नरेश चंद्र सिंह को राज्य जाता देख किसी भी प्रकार का मलाल नहीं था। बल्कि राज्य और लोगों के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने अपने राज्य का विलय सही समझा।¹⁶ विलय के पश्चात सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गठन 1951 में हुआ और सन् 1977 में सारंगढ़ को लोकसभा क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था, परंतु 2008 के परिसीमन के आधार पर 2009 में सारंगढ़ को रायगढ़ लोकसभा के अंतर्गत ही शामिल कर लिया गया। सारंगढ़ राजपरिवार के सदस्यों का मध्यप्रदेश की राजनीति में उल्लेखनीय योगदान रहा है। राजपरिवार के सदस्य मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, लोकसभा सदस्य की भूमिका में सारंगढ़ को राजनीतिक पहचान दिला चुके हैं। विलय के पश्चात सारंगढ़ को जिला बनाने के लिए प्रयास शुरू हो गया था। सन् 1998 को सारंगढ़ जिला निर्माण के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना जारी किया गया और दावा आपत्ति मंगाया गया था परंतु जिला का निर्माण नहीं हो पाया।¹⁷ 15 अगस्त 2021 को आखिरकार सारंगढ़ जिला घोषित हो गया। जिला निर्माण के बाद सारंगढ़ की राजनीतिक भूमिका में परिवर्तन स्वरूप हो चुका है।

संदर्भ

1. ली, टुप्पर, अवर इंडियन प्रोटेक्टोरेट, लॉन्गमेंस ग्रीन एंड कंपनी, लंदन, 1893, पृष्ठ 1 - 4
2. वार्नर, विलियम, द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड, लंदन, 1910, पृष्ठ 10

3. मिश्र, डॉ प्रभुलाल, भारतीय रियासतें ब्रिटिश नीति एंड संबंध, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रन्थ अकादमी रायपुर, 2018, पृष्ठ 315
4. पूर्वोक्त, पृष्ठ 317
5. दैनिक छत्तीसगढ़, रायपुर, 12 सितंबर, पृष्ठ 6
6. मिश्र, डॉ प्रभुलाल, भारतीय रियासतें ब्रिटिश नीति एंड संबंध, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रन्थ अकादमी रायपुर, 2018, पृष्ठ 315
7. एटिचिसन,सी यू, ए कलेक्शन ऑफ ट्रिटीज इंगेजमेंट एंड सनद रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, पृष्ठ 497
8. पूर्वोक्त 549
9. मेमोरंडा ऑफ़ इंडियन स्टेट्स 1936, पृष्ठ 90
10. ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ हिंदी गजेटियर, भाग 01, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रन्थ अकादमी, रायपुर, 2017, पृष्ठ 284
11. द वायर(समाचार पत्र), नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2024
12. देशबन्धु, रायपुर, 17 अक्टूबर 2021
13. गुरु, शंभु दयाल, रायगढ़ जिला गजेटियर, नई दुनिया प्रेस, इंदौर,1979, पृष्ठ 56
14. पूर्वोक्त,पृष्ठ 57
15. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन (1947), फाइल नंबर C-1/87/47
16. देशबन्धु, रायपुर, 03 अक्टूबर 2021
17. सारंगढ़ टाइम्स, दैनिक समाचार पत्र, 03 जुलाई 2021